



Neutral Citation No.- 2026:AHC:19483

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण ज़मानत आवेदन संख्या-38682 वर्ष 2024

चरण सिंह आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: प्रशांत शुक्ला

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: आदित्य यादव, शासकीय अधिवक्ता, शिवम यादव

न्यायालय सं - 66

माननीय न्यायमूर्ति श्री कृष्ण पहल

1. सूची का पुनः पुकार किया गया। सूचनाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा दायर जवाबी हलफ़नामे को अभिलेखों पर लिया जाता है।
2. श्री विष्णु पांडे, अधिवक्ता श्री प्रशांत शुक्ला, आवेदक के अधिवक्ता, श्री आदित्य यादव, सूचनाकर्ता के अधिवक्ता, श्री राजेंद्र प्रसाद सिंह, राज्य के राज्य विधि अधिकारी को सुना और अभिलेखों पर रखी गई सामग्री का अवलोकन किया।
3. प्रस्तुत ज़मानत आवेदन आवेदक द्वारा 2024 के अपराध संख्या-0169 में धारा 307, 323, 504, 506, 325, 302 भ०द०वि०, थाना-कुर्रा, ज़िला: मैनपुरी के तहत दायर किया गया है, जिसमें उसे ज़मानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गई है।
4. अभियोजन पक्ष की कहानी के अनुसार, सह-अभियुक्त व्यक्तियों ने मृतक पर लाठी और डंडा से हमला किया था, जबकि आवेदक ने उस पर फवाड़ा से हमला किया था, जिससे वह बेहोश हो गया था। इसके बाद, आवेदक ने कहा कि उसने 07.06.2024 को सुबह लगभग 7:00 बजे मृत व्यक्ति को अपने ट्रैक्टर से तीन बार कुचला था।
5. आवेदक के अधिवक्ता ने कहा है कि हालांकि आवेदक को प्राथमिक आरोपी व्यक्ति के रूप में दिखाया गया है, लेकिन आरोप झूठे हैं। दो दिन से अधिक की देरी के बाद प्राथमिकी दर्ज की

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



गई है, जो झूठे निहितार्थ को दर्शाता है। मृतक का बयान विवेचनाधिकारी द्वारा दर्ज किया गया था, जिसमें उसने कहा है कि आवेदक ने उस पर हमला किया था और कई बार ट्रैक्टर से कुचल दिया था। आवेदक 20.06.2024 से जेल में है और मुकदमे में सहयोग करने के लिए तैयार है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

6. ततस्य विपरीत, सूचनाकर्ता के अधिवक्ता और अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत आवेदन का जोरदार विरोध किया है।

7. पक्षों के अधिवक्ता को सुनने के बाद और विवेचनाधिकारी के समक्ष मृतक के बयान को ध्यान में रखते हुए, जो एक मृत्युपूर्व घोषणा के समान है, मुझे यह आवेदक को जमानत देने के लिए उपयुक्त मामला नहीं लगता। जमानत आवेदन गुण-दोष से रहित पाया जाता है और तदनुसार, **खारिज** किया जाता है।

8. हालांकि, यह निर्देश दिया जाता है कि विचारण न्यायालय के समक्ष लंबित उपरोक्त मामले को सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए जैसा कि **विनोद कुमार बनाम पंजाब राज्य; 2015 (3) एस.सी.सी. 220 और हुसैन और अन्य बनाम भारत संघ; (2017) 5 एस.सी.सी. 702**, के मामलों में उच्चतम न्यायालय के हाल के फैसलों में निर्धारित किया गया है, अगर कोई कानूनी बाधा नहीं है, जल्द से जल्द निर्णय लिया जाए।

9. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियां जमानत आवेदन के निपटान से संबंधित पक्षकारों द्वारा लाए गए तथ्यों तक सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का मुकदमे के दौरान मामले के गुण-दोष पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

28 जनवरी, 2026

(रवि कांत)

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)